

—पन्द्रह—

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या :क0नि0-5-5418 / 11-2001-500(85) / 2000टी.सी.

लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2001

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या कसं.वि.-5-3706/11-98-500(20)/98 दिनांक 31 अगस्त, 1998 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल निर्देश देते हैं कि अनुच्छेद 15 के अधीन बन्धपत्र और अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन हस्तान्तरण पत्र पर स्टाम्प शुल्क की दरें, जिन्हें उक्त अधिसूचना में कम किया गया है, सन् 1899 के उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 5 के अधीन करार या किसी करार के ज्ञापन, अनुच्छेद 18 के अधीन विक्रय प्रमाण-पत्र, अनुच्छेद 31 के अधीन सम्पत्ति के विनिमय अनुच्छेद 32 के अधीन अतिरिक्त भार, अनुच्छेद 33 के अधीन दान की लिखतों पर इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होंगे।

आज्ञा से,  
ह0अस्पष्ट  
(टी. जार्ज जोसेफ),  
प्रमुख सचिव।

संख्या :क0नि0-5-5418 / 11-2001-500(85) / 2000 टी.सी., तददिनांक:

प्रतिलिपि, अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 1 सितम्बर, 2001 के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड-(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को तथा 50 प्रतियाँ महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
ह0अस्पष्ट  
(यू0के0एस0 चौहान),  
विशेष सचिव।

संख्या :क0नि0-5-5418 / 11-2001-500(85) / 2000 टी0सी0, तददिनांक:

प्रतिलिपि हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिरीक्षक निबन्धन/अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपनिबन्धक, उत्तर प्रदेश।
7. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. सूचना निदेशक, सूचना निदेशालय, 6 , पार्क रोड , लखनऊ।

आज्ञा से,  
ह0अस्पष्ट  
(यू0के0एस0 चौहान),  
विशेष सचिव।

**UTTAR PRADESH SHASAN  
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5**

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification No. K.N.5-5418/11-2001-500 (85)/2000 T.C. dated September 01, 2001 for general information.

**No. K.N.5-5418/11-2001-500(85)/2000 T.C.**

**Lucknow, Dated September 01, 2001**

**NOTIFICATION**

**Order**

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. II of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of Government Notification No. K.S.V.5-3706/XI-98-500(20)/98 dated August 31, 1998, the Governor is pleased to direct that the rate of stamp duty on Bond under Article 15 and Conveyance under Clause (a) of Article 23 as reduced in the said notification, shall apply to instruments of Agreement or memorandum of agreement under Article 5, Certificate of sale under Article 18, Exchange of property under Article 31, Further Charge under Article 32, Gift under Article 33 of Schedule 1-B of the said Act of 1899 from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

By order,  
Sd/- Illegible  
(T. GEORGE JOSEPH),  
Pramukh Savhiv.